21.10.19 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिसके प्रार्थी वकील को आदेशिका दिनांक 15.05.2012 को प्रतिवादीगण के सम्मन पुनः पेश करने हेतु अवसर दिया गया, उसके पश्चात पर्याप्त अवसर दिये गये, लेकिन वादी वकील ने सम्मन पेश नही किये; इससे स्पष्ट होता है कि वादी वकील अपने वाद के प्रति गंभीर नही है अतः वादी का वाद अदालत में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से कम हो।

21/10/19
सहायक कलक्टर
चौहटन